

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूँ।

Advertisement for Tree

विज्ञापित

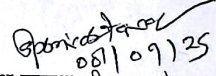
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बदायूँ परिसर में नीम के एक पेड़ की नीलामी की जानी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क.सं.	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	आयतन घं0मी0 में	मूल्यांकन रू0 में
01	नीम (जनपद न्यायालय परिसर में)	01	3.732	9000/-

उपरोक्त सारणी में दिये गये पेड़ की नीलामी दिनांक 16/09/2025 को सायं 4:30 बजे केन्द्रीय सभागार जनपद न्यायालय बदायूँ में की जायेगी। इस सम्बंध में जो भी व्यक्ति अथवा फर्म इस नीलामी में भाग लेना चाहता है तो उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आकर नीलामी में बोली लगा सकते हैं। नीलामी को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार केवल माननीय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ को ही होगा। इस सम्बंध में अधिक जानकारी करना चाहे तो किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नजारत से प्राप्त की जा सकती है।

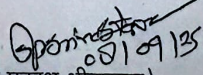
नीलामी की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. नीलामी बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पहले अंकन 2000/-रू0 केन्द्रीय नजारत में जमा करना होगा, तभी उसको बोली लगाने का अधिकार होगा।
2. बोली समाप्त होने पर सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली की सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करना होगा।
3. उक्त उल्लेखित वृक्ष की नीलामी बोली प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा दिये गये कुल अंकित मूल्य अंकन 2000/- रुपये के लिए प्रारम्भ होगी।
4. सम्पूर्ण धनराशि जमा होने पर ही उक्त पेड़ की लकड़ी उठाने का अधिकारी होगा।
5. खरीदी हुई लकड़ी के परिवहन अथवा अनुमति सम्बंधित अथवा परमिट आदि की समस्त औपचारिकताओं का दायित्व खरीददार का होगा।


(सुयश प्रकाश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.)
एक्ट, बदायूँ।

प्रतिलिपि:-राहायक नाज़िर को निम्नलिखित सूचनापटो पर चस्पा करने हेतु प्रेषित:-

- 01.कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ।
- 02.कार्यालय जिलाधिकारी, बदायूँ।
- 03.कार्यालय तहसीलदार, सदर, बदायूँ।
- 04.कार्यालय नगर पालिका परिषद, बदायूँ।
- 05.रोडवेज, बदायूँ।
- 06.रेलवे स्टेशन, बदायूँ।
- 07.जिला अस्पताल, बदायूँ।
- 08 नोडल अधिकारी(कम्प्यूटर) नेट पर अपलोड करने हेतु।
- 09.शहर अमीन को सूचनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ (प्रकाशन हेतु)।


(सुयश प्रकाश श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट, बदायूँ।